

समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

पत्रांक/रा०,

प्रेषक,

समाहर्ता, बक्सर

सेवा में,

नजारत उप समाहर्ता, बक्सर

अंचल अधिकारी,

बक्सर, चौसा, इटाही, राजपुर, डुमराँव, ब्रह्मपुर एवं सिमरी

बक्सर, दिनांक / /2021

विषय :

बक्सर जिला में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन) के मानदेय भुगतान हेतु CFMS द्वारा Demand No. 40-Revenue and Land Reforms Department, Major Head – 2029-Land Revenue, Sub-Major Head-00, Minor Head-104-Management of Government Estates, Sub Head-0001-NA Head of Account – 40-2029-00-104-0001-NA Object – Head 28-02 Contract Services के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु कुल 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये मात्र राशि का उपावंटन।

प्रसंग :

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना का File No.- 5/2029 A-01/2021-22 SSD, Order No. 1276 दिनांक 11.06.2021.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु बक्सर जिला में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन) के मानदेय भुगतान हेतु CFMS द्वारा Demand No. 40-Revenue and Land Reforms Department, Major Head – 2029-Land Revenue, Sub-Major Head-00, Minor Head-104-Management of Government Estates, Sub Head- 0001-NA Head of Account – 40-2029-00-104-0001-NA Object – Head 28-02 Contract Services के अन्तर्गत कुल 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन निम्नवत आपको उपावंटित किया जाता है :-

Sl. No.	Allotment ID	Object Head	Name of DDO	Allotment Amount	Remarks
1	256565	28-02-Contract Services	NDC, Buxar	93132.00	
2			CO, Buxar	88000.00	
3			CO, Chousa	175032.00	
4			CO, Itarhi	88000.00	
5			CO, Rajpur	91836.00	
6			CO, Dumraon	88000.00	
7			CO, Brahmpur	88000.00	
8			CO, Simri	88000.00	
			Total	800000.00	

2. यह आवंटन Comprehensive Financial Management System, Government of Bihar, Revenue and Land Reforms Department, Patna के Order No.- 1276, File No.- 5/2029 A-01/2021-22 SSD दिनांक 11.06.2021 के द्वारा Allotment ID No.- 256565 द्वारा प्राप्त हुआ है।

3. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में की जायेगी। साथ ही समय - समय पर वित्त विभाग, बिहार द्वारा एतद् संबंधी निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025, दिनांक 21.05.2013, संकल्प संख्या-2401, दिनांक 18.07.2007 एवं संकल्प संख्या-1718, दिनांक 06.05.2010 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि से बक्सर जिला में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन) के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रामाण - पत्र / व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

201-

समाहर्ता, बक्सर

ज्ञापांक 03-0978/रा0 दिनांक 28.06.2021।

प्रतिलिपि : वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरौव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर / आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरौव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/06/21
समाहर्ता, बक्सर